न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 05/2021
दायर दिनांकः 02.02.2021
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :—

गोटुलाल पिता मोहनलाल जी जाति तेली निवासी किशनपुरा तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 2140/2020 सरकार बनाम गोटुलाल, निर्णय दिनांक 05.01.2021 से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द प्रकरण संख्या 2140/2020 सरकार बनाम गोटुलाल, निर्णय दिनांक 05.01.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का धांयला ने ग्राम किशनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 10 बीघा 5 विश्वा में से 01 बीघा भूमि पर अपीलार्थी गोटुलाल के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत पेश की गई। जिस पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गोटुलाल को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.12.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमी द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है तथा कटर स्थापित है जो चालू है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर अप्रार्थी द्वारा स्थापित किये गये कटर मशीनरी आदि

को हटाया जावे तथा बेदखल की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कटर स्थापित है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर साधिकारपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। यह कटर वर्षों से स्थापित था तथा यह भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से लगी हुई थी जिस पर मौके पर अपीलार्थी व उसके पूर्वाधिकारी काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि को अपीलार्थी ने अपने मूल आराजी नम्बर 215 में से एक भाग को उद्योग हेतु रूपान्तरित करवाया है तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि 882/215 किस्म उद्योग के रूप में दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी इस भूमि पर सद्भावी रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मोके पर कटर स्थापित होकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 28.12.2020 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को नियत की गई थी तथा उसी दिनांक को आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया। यह कार्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलार्थी को सुने बगैर मनमकसूद तरीके से आदेश पारित किया गया जो विधि के विपरीत है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर कटर स्थापित होकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने एवं निर्माण सामग्री को जब्त कर निलाम करने के आदेश देने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया है और अपने मनमकसूद तरीके से प्रकरण में दिनांक 05.01.2021 को निर्णय पारित कर दिया जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बगैर यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्रारम्भ से ही अवैध शून्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयजन्य विधि में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर किसी प्रकार का आदेश पारित करने की कानूनन अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.01.2021 को उक्त पत्रावली को निर्णित करना बताया है जबकि उक्त सुनवाई में अपीलार्थी के उपस्थित होने के बाद भी उसे अपना पक्ष रखने का साक्ष्य सबूत पेश करने का जवाब पेश करने का अधिवक्ता नियुक्त करने का एवं अपना बचाव करने हेतु किसी प्रकार का अवसर न देना न केवल विधि के विपरीत है बल्कि न्याय के प्रारम्भिक सिद्धान्तों के भी विपरीत है। अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्ट द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। बाउण्ड्री बनाकर महफूज किया गया है तथा उद्योग स्थापित किया है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। धारा 91 की

कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

Rajasthan Land Revenue Act 1956-Sec 91-Applicability - Tehsildar issued notice u/s 91 to respondent for Sawai Chak, Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain inoccupation over the land- The said claim raises questions involving applicability and interpreration of various laws and documents as well as investigation into disputed questions of fact involving recording of evidence.These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the Act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum.

उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.7.1994 से बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढाकर 2016 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 2140/2020 सरकार बनाम गोटुलाल में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन /नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राज़कीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कटर स्थापित है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर साधिकारपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। यह कटर वर्षों से स्थापित था तथा यह भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से लगी हुई थी जिस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पर मौके पर अपीलार्थी व उसके पूर्वाधिकारी काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि को अपीलार्थी ने अपने मूल आराजी नम्बर 215 में से एक भाग को उद्योग हेतु रूपान्तरित करवाया है तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि 882/215 किस्म उद्योग के रूप में दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी इस भूमि पर सद्भावी रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मोके पर कटर स्थापित होकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 28.12.2020 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को नियत की गई थी तथा उसी दिनांक को आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया।राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर कटर स्थापित होकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने एवं निर्माण सामग्री को जब्त कर निलाम करने के आदेश देने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया है और अपने मनमकसूद तरीके से प्रकरण में दिनांक 05.01.2021 को निर्णय पारित कर दिया जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 2140/2020 सरकार बनाम गोटुलाल में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन/नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का धायला ने अपीलार्थी गोटुलाल पिता मोहनलाल तेली के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम किशनपुरा की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 79 रकबा 10—05 बीघा किस्म मगरी में से 01—00 बीघा भूमि पर गोटुलाल पिता मोहनलाल तेली ने मार्बल कट्र लगाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का धांयला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री गोटुलाल पिता मोहनलाल तेली को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में श्री गोटुलाल ने नियत पेशी दिनांक 05.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि पर मेरा अतिक्रमण ही रहा हैं। मेरा इस भूमि पर कोई मालिकाना हक नही हैं एवं गोटुलाल ने उक्त भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मालिकाना हक के कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये हैं। जिससे इनके विरूद्ध बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया व शास्ति आरोपित की गयी।

जहां तक वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे होने संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बदेखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 05.01.2021 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

24/2/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)